

# कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 2870 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, मई, 12, 2026.

सेवा में,

✓ प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, देहरादून।

विषय- जनपद चमोली में सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.632 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/146449/2021

सन्दर्भ- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8 बी/यू०सी०पी०/०६/९७/२०२५/एफ०सी० दिनांक 23.12.2025

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 5044/12-1 दिनांक 23.04.2026 से अवगत कराया गया है कि विषयांकित प्रकरण में चाही गई 07 बिन्दुओं की सूचना प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक 256/36सी० दिनांक 13.02.2026 से प्रभागीय कार्यालय को उपलब्ध कराई गई, जो निम्नप्रकार प्रेषित है।

क्र०	चाही गई सूचना	उत्तरालेख
1	As per the DSS analysis of the diversion area, the area has been calculated as 1.53 ha insted of the proposed 1.632 ha. Clarification in this regard is required.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मार्ग की कुल लम्बाई 2.15 किमी० है, जिसमें वन भूमि 1.940 किमी० (1.358 है० वन भूमि मोटर मार्ग हेतु तथा 0.274 है० वन भूमि मक डम्पिंग हेतु) प्रभावित हो रही है। 0.210 किमी० मोटर मार्ग नाप भूमि से गुजर रहा है। स्वीकृत संरक्षण के अनुसार के०एम०एल० में 1.632 है० प्रदर्शित कर दिया गया है।
2	A complete KML file of the proposed road alignment, clearly indicating both forest land and non-forest land, is required to be submitted.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के माध्यम से अवगत कराया गया है कि के०एम०एल० में प्रस्तावित संरक्षण में वन भूमि एवं गैर वन भूमि को भिन्न-भिन्न रंग से प्रदर्शित कर दिया गया है।
3	It is seen that only one alternative alignment has been provided. The User Agency shall therefore submit at least two alternative alignments along with their comparative statement.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित संरक्षण के साथ दो वैकल्पिक संरक्षण की के०एम०एल० एवं तुलनात्मक विवरण संलग्न कर प्रेषित कर दिया गया है। (संलग्नक-01)
4	It is observed that the muck dumping sites have been proposed exclusively on forest land. In this regard, a detailed report from the DFO concerned, examining the feasibility of identifying muck dumping sites on non-forest land, shall be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 5044/12-1 दिनांक 23.04.2026 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मक डम्पिंग स्थलों का निरीक्षण किया गया है, जिसकी आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। निरीक्षण में पाया गया है कि उक्त ग्राम में भूमिधरों के पास नाप भूमि काफी कम है जिस कारण मक डम्पिंग स्थलों को वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है। (संलग्नक-03)
5	Further, the muck dumping areas are not properly marked in the KML file. A revised KML file clearly indicating the muck dumping sites is required.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के माध्यम से अवगत कराया गया है कि के०एम०एल० फाईल में मलवा निस्तारण स्थलों को प्रदर्शित कर दिया गया है।


JAIDEEP

क्रमशः पेज 02 पर

6	Before taking over the compensatory afforestation (CA) land, the State Forest Department shall ensure that the CA has properly fenced by the User Agency. The User Agency shall also submit anundertaking to this effect.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के माध्यम से अवगत कराया गया है कि इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-03)
7	The suitability certificate for the proposed CA land has not been submitted. It is requested to submit the site suitability certificate of CA land.	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 5044/12-1 दिनांक 23.04.2026 से अवगत कराया गया है कि पूर्व से ही प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

संलग्नक:- यथोपरि


भवदीय,

  
(आकाश कुमार वर्मा)  
वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक:- 2870/12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

  
(आकाश कुमार वर्मा)  
वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।